रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2003/आषाढ़ 10, 1925
No. 303] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2003/ASADHA 10, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2003

सं. 98/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 521(अ).—अभिहित प्राधिकारी, जनवादी गणराज्य चीन और संयुक्त अरब अमीरात (स0अ0अ0) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात विषयगत देश भी कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विट्रीफाइड औद्योगिक टाइलों से भिन्न विट्रीफाइड और पोर्सिलेन टाइलों (जिसे इसके पश्चात विषयगत माल भी कहा गया है) जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 69 के अंतर्गत आती हैं, के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 5 फरवरी, 2003 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे थे कि –

(i) चीन और संयुक्त अरब अमीरात (स0अ0अ0) से भारत को विट्रीफाइड और पोर्सीलीन टाइलों का सामान्य से कम मूल्य पर निर्यात हुआ है ;
(ii) भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति हुई है;
(iii) विषयगत देशों से पाटित आयातों के द्वारा क्षति कारित हुई है;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 मई, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 73/2003–सीमाशुल्क, तारीख 1 मई, 2003 [सा0का0नि0 376 (अ), तारीख 1 मई, 2003] द्वारा उक्त विषयगत माल पर प्रति पाटन शुल्क अधिरोपित किया है ।

और जबकि मैसर्स प्रेस्टीज जनरल ट्रेडिंग, दुबई, (स0अ0अ0) के साथ उत्पादक मै0 नॉन्हाई शनयूवान कूलीयान कंस्ट्रक्शन सेरामिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन, ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 22 के तहत उसके द्वारा किये गये निर्यातों की समीक्षा का निवेदन किया है तथा अभिहित प्राधिकारी ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 23 मई, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 15/2/2003-डी.जी.ए.डी. तारीख 23 मई, 200 द्वारा उक्त मैसर्स नॉन्हाई शनयूवान कूलीयान कंस्ट्रक्शन सरमीक्स कंपनी लिमिटेड, चीन, प्रोडूसर और मै0 प्रेस्टीज जनरल ट्रेडिंग, दुबई, (स0अ0अ0) एक्सपोर्टर द्वारा किये गये, विषयगत माल के सभी निर्यातों का, समीक्षा के पूरे होने तक, अनन्तिम मूल्यांकन की सिफारिश की है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ ।पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम, 1995 के नियम 22 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अभिहित प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के पूरे होने तक, यह आदेश देती है कि मैसर्स प्रेस्टीज जनरल ट्रेडिंग, दुबई, (स0अ0अ0) के साथ उत्पादक मै0 नॉन्हाई शनयूवान कूलीयान कंस्ट्रक्शन सेरामिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन, द्वारा सभी निर्यातों पर, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रथम अनुसूची के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाली विट्रीफाइड औद्योगिक टाइलों से भिन्न विट्रीफाइड और पोर्सिलेन टाइलों का, अनन्तिम मूल्यांकन किया जायेगा ।

2. अनन्तिम मूल्यांकन के लिए ऐसी गारंटी आवश्यक होगी जो यथास्थिति सीमाशुल्क ,सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा, समीक्षा के पूरे होने तक अभिहित प्राधिकारी द्वारा पूर्वप्रभावी रूप से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की स्थिति में, अपर्याप्तता की अदायगी के लिए समुचित समझी गई हो ।

3. यदि अभिहित प्राधिकारी, के समीक्षा के पूरे होने पर, प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश करते है, आयातक, ऐसे प्रतिपाटित शुल्क की रकम, जो मैसर्स प्रेस्टीज जनरल ट्रेडिंग, दुबई, (स0अ0अ0) के साथ उत्पादक मै0 नॉन्हाई शनयूवान कूलीयान कंस्ट्रक्शन सेरामिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन, द्वारा भारत में किये गये सभी विट्रीफाइड और पोर्सीलीन टाइलें के आयातों पर जो अभिहित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई हो, जॉच की अवधि के प्रारंभ की तारीख से, अदा करेगा ।

[फा. सं. 354/214/2001-टी.आर.यू.]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2003

No. 98/2003-CUSTOMS

G.S.R. 521(E).— WHEREAS in the matter of import of vitrified and porcelain tiles, other than vitrified industrial tiles(hereinafter referred to as "the subject goods"), falling under chapter 69 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China and United Arab Emirates (UAE) (hereinafter referred to as "the subject countries") and imported into India, the designated authority vide its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th February, 2003, had come to the conclusion that -

(a) Vitrified/Porcelain Tiles have been exported to India from UAE and the People's Republic of China below its normal value resulting in dumping;

(b) the Indian industry had suffered material injury;

(c) the injury had been caused cumulatively by the imports from the subject countries; and had considered it necessary to impose anti-dumping duty on all imports of the subject goods from UAE and the People's Republic of China in order to remove the injury to the domestic industry;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2003-Customs, dated the 1st May, 2003, published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st May, 2003 [G.S.R. 376(E), dated the 1st May, 2003];

AND WHEREAS M/s Nanhai Shanyuan Oulian Construction Ceramics Co. Ltd., China, producer with M/s Prestige General Trading, Dubai, UAE as exporter have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 in respect of exports made by them, and the designated authority, vide new shipper review notification No. 15/2/2003-DGAD dated 23rd May, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd May, 2003 has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the said M/s Nanhai Shanyuan Oulian Construction Ceramics Co. Ltd., China, producer with M/s Prestige General Trading, Dubai, UAE as exporter till the completion of the review by it;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, vitrified and porcelain tiles, other than vitrified industrial tiles, falling under chapter 69 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, produced by M/s Nanhai Shanyuan Qulian Construction Ceramics Co. Ltd., China, and exported by M/s Prestige General Trading, Dubai, UAE, when imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti dumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such anti-dumping duty recommended on review and imposed on all imports into India of vitrified/porcelain tiles from M/s Nanhai Shanyuan Qulian Construction Ceramics Co. Ltd., China, producer and M/s Prestige General Trading, Dubai, UAE as exporter, from the date of initiation of the said review.

[F. No. 354/214/2001-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2003

सं. 99/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 522(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 25 के अंतर्गत आने वाले, चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए फ्यूज्ड मैगनेशिया के आयात के विषय में, पदाभिहित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 2 फरवरी, 1999 में प्रकाशित अधिसूचना सं 18/1/97-एडीडी, तारीख 2 फरवरी, 1999 द्वारा अपने अंतिम निष्कर्षों के अनुसार इस निर्णय पर पहुंचे थे कि –

(क) चीन जनवादी गणराज्य मूल के या वहां से निर्यातित फ्यूज्ड मैगनेशिया का साधारण मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया था जिसके कारण सन्निक्षेप किया गया ;

(ख) भारतीय उद्योग को, इसके स्थापन में सारवान मन्दन के रूप में क्षति हुई थी ;

(ग) और यह क्षति विषयगत देश से आयातों के कारण हुई थी;

और केन्द्रीय सरकार ने अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 17 मार्च, 1999 में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 35/99–सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1999 (सा0का0नि0 211 (अ), तारीख 17 मार्च, 1999) द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया है ;

और अभिहित प्राधिकारी ने 2000 की सिविल अपील सं. 4936-4937 में उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5 मार्च, 2003 के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आँकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 23 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए फ्यूज्ड मैगनेशिया पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए जांच को प्रारंभ किया;

और अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 9 जून, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 18/1/97-डी जी ए डी, तारीख 9 जून, 2003 द्वारा समीक्षा पर अपने अंतिम निष्कर्षों में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए फ्यूज्ड मैगनेशिया के सभी आयातों पर दिनांक 2.2.1999 के अंतिम जांच परिणाम सं. 18/1/97-ए डी डी के तहत सिफारिश किए गए तथा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का आंकलन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम, 1995 के नियमों 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी की समीक्षा को विचार करने के बाद, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/99-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1999 को विखंडित करती है ।

[फा. सं. 354/53/2003-टी.आर.यू.]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2003

No. 99/2003-CUSTOMS

G.S.R. 522(E).—WHEREAS, in the matter of import of Fused Magnesia falling under Chapter 25 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from the People's Republic of China, the designated authority, vide notification No. 18/1/97-ADD, dated the 2nd February, 1999, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 2nd February, 1999, had in its final findings concluded that-

(a) Fused Magnesia, originating in or exported from the People's Republic of China had been exported to India below normal value, resulting in dumping;

(b) the domestic industry had suffered material injury in the form of material retardation to its establishment; and

(c) the injury had been caused to the domestic industry by the imports from the subject country.

AND WHEREAS, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government has imposed anti-dumping duty vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/99-Customs, dated the 17th March, 1999 [G.S.R. 211 (E), dated the 17th March, 1999], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th March, 1999;

AND WHEREAS, having directed by the Supreme Court vide its order dated 5.3.2003 in Civil Appeal Nos. 4936-4937 of 2000, the designated authority initiated review investigation, in terms of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, to review the need for continued imposition of anti-dumping duty on Fused Magnesia, originating in or exported from the People's Republic of China;

AND WHEREAS, the designated authority in its final findings on the review vide notification No. 18/1/1997-DGAD, dated the 9th June, 2003, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th June, 2003, has recommended for discontinuance of the anti-dumping duty recommended earlier vide final findings No. 18/1/97-ADD dated 2.2.1999 and imposed on all imports of the Fused Magnesia, originating in or exported from the People's Republic of China.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 9A of the said Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government after considering the aforesaid final findings in review of the designated authority, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.35/99-Customs, dated the 17th March, 1999.

[F. No. 354/53/2003-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.